झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—507/2016— .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **मसरिया जलाशय योजना का डैम की मरम्मति, दाँयी एवं बाँयी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए रू० 1618.597 लाख (रूपये सोलह करोड़ अठ्ठारह लाख उनसठ हजार सात सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन गुमला जिला के घाघरा प्रखण्ड में निर्मित **मसरिया जलाशय योजना** का डैम की मरम्मति, दाँयी एवं बाँयी मुख्य नहर लाईनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए रू० 1618.597 लाख (रूपये सोलह करोड़ अठ्ठारह लाख उनसठ हजार सात सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. इस योजना से गुमला जिला के गुमला प्रखण्ड अन्तर्गत 8 (आठ) ग्रामों के 720 हेक्टेयर खरीफ एवं 160 हे० रब्बी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

4. योजना की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल करने के लिये योजना के नहर को सेक्शन में लाने के लिए आवश्यक मिट्टी कार्य का प्रावधान किया गया है। इस प्राक्कलन में दाँयी मुख्य नहर एवं बांयी मुख्य नहर में लाईनिंग कार्य, संरचनाओं की मरम्मति सहित प्रावधान किया गया है। इस जीर्णोद्धार कार्य के प्राक्कलन में यांत्रिक कार्य भी शामिल है।

5. प्रस्तावित लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य कराने के पश्चात् पूरे कमाण्ड क्षेत्र में समुचित सिंचाई क्षमता के अनुरूप पानी उपलब्ध होगा तथा सृजित क्षमता 720 हे० खरीफ एवं 160 हे० रब्बी में सिंचाई उपलब्ध होगा।

6. इस कार्य को अगले 18 (अठ्ठारह) महीने में पूर्ण किया जाना है।

7. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०—2, चैनपुर, गुमला होंगे। यांत्रिक कार्यों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची होंगे।

8. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

10. वर्ष 2017–18 के लिए उक्त बजट शीर्ष में एकमुश्त बजट उपबंध निम्नवत् है –

a. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 110.00 करोड़

11. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी गुमला कोषागार, गुमला से की जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिए उपशीर्ष–54–सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंध है।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति एवं माननीय मुख्य (योजना –सह– वित्त) मंत्री, झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त है।

17. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—507/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—507/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, गुमला कोषागार, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—507/2016— 05/17-18 प्र.सो. /राँची, दिनांक 24.04.2017

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०—2, चैनपुर, गुमला/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/17
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
24/04/17